


2003



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

निग0 प्रकरण क्रमांक रि-1036-III/14

सन् 2014

1. हरी सिंह तनय स्व0श्री खिलावन सिंह गौड
2. अर्जुन सिंह तनय स्व0श्री खिलावन सिंह गौड
3. टीकम सिंह तनय स्व0श्री खिलावन सिंह गौड
4. गणेश सिंह तनय स्व0श्री खिलावन सिंह गौड
5. चन्द्ररानी वेवा प्रतिपाल सिंह गौड



निवासीगण ग्राम खांडखुडई तहसील राजनगर

जिला छतरपुर (म0प्र0)-----निगरानीकर्तागण

बनाम

राज्य शासन म0प्र0 -----गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध प्रकरण क्रमांक

140/स्व0प्र0/निग0/अ-19-4/91-92

न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय

छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.

2003 से परिवेदित होकर ।

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा0संहिता 1959

दिनांक 28-3-14 को
को चर्चेंद पत्रुवेदी
कारि द्वारा प्रस्तुत।

28-3-14
1750



Dehat
28/3/14
महोदय,

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी. 1036-तीन/2014 जिला-छतरपुर
हरीसिंह आदि विरुद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.8-19	<p>प्रकरण आज लिया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 140/स्व. प्रे0/निग./अ-19-4-/91-92 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा -54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15.10.2019 को आयुक्त, सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p></p> <p> (जे०बी०/जैन) सदस्य</p>	